रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238517
CG-DL-E-01092022-238517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3886] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944
No. 3886] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

का.आ. 4060(अ).—यतः, मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ऑडिशा राज्य के संबलपुर जिले के गाँव लपांगा, तहसील रेंगाली में एल्युमिनियम और एल्युमिनियम उत्पाद के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 499(अ) दिनांक 13 मार्च, 2008 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 115.706 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै॰ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 115.706 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, ऑडिशा सरकार ने उनके पत्र स. 10084/आई. दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 के तहत् प्रस्ताव को अनापत्ती प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके अलावा, डेवलपर ने पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त अधिसूचित भूमि का उपयोग कंपनी की समग्र एल्यूमीनियम परियोजना के लिए किया जाता है और भविष्य में भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता रहेगा;

और यत:, विकास आयुक्त, फ़ाल्टा विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 115.706 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक ज़ोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किये गए कार्यों या किये जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद् करती है।

[फा. सं. एफ.2/318/2006-ईपीजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

S.O. 4060(E).—WHEREAS, M/s. Hindalco Industries Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Aluminum and Aluminum products at Village- Lapanga, Tehsil- Rengali, District- Sambalpur in the State of Odisha;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 115.706 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 499 (E) dated 13th March, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Hindalco Industries Limited has now proposed to de-notify the entire area of 115.706 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Odisha has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 10084/I. dated 10th December, 2021. Further, the Developer vide letter dated 14.04.2022 has submitted that the above said notified land is utilised for overall aluminium project of the company and it will continue to be used for the same purpose;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Falta Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 115.706 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/318/2006-EPZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA